

फार्म


* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय कुमार चौरे, # 3: भि: क: सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ उपायुक्त
 3. वर्तमान वेतन रुपये 1,23,000 + भत्ते अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला खंडवा महसिल पंचायत, आईला कला	-	कृषि भूमि 01.94 हेक्टर	लगभग इस भारत	बड़ेभारि (श्री अलोक चौरे) अजय चौरे (स्वयं) श्रीमती पूर्णिमा बड़ीड साहू (बाड़ी बहन) के संयुक्त नाम से	पिता की मृत्यु पर विरासत में मिली	के हज़ार पाँच सौ मात्र	-
कोलार रोड ओपाल	आर्चर्ड स्क्वेयर में फ्लैट क्रमांक BR-7	-	लगभग लीक लख	मेरे व श्रीमती रूखा चौरे (पत्नी) के संयुक्त नाम से	सेइल बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स ओपाल से मृण लेकर स्व देखा डेवलपर्स रूड कॉलोनाइजर्स से खरीदा	निरंक	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर  16.1.18
 नाम अजय कुमार चौरे
 पद वरिष्ठ उपायुक्त